अंचल अधिकारी ....कर्रा.... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– ....40/2017-18....

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

26/12/20 झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारम्भ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– ....रोन्हे.... थाना– ....173.... खाता संख्या– ....36/17.... प्लॉट संख्या– ....—.... रकबा ....0.23.... एकड की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– ....01.... के पृष्ठ संख्या– ....57.... पर जमाबंदी रैयत सोमरा अहिर S/o चरकु अहिर के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक ....12/01/2021.... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New Awadh Jamabandi.docx

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
11/9/24	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत उपस्थित / अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत सोमरा अहीर पिता चरकु अहीर के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा रोन्हे थाना नं0 173 के सर्वे खतियान में खाता सं0 36 गैरमजुरूआ खास किस्म — दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में भाग I पृष्ट सं0 57 खाता 36/17 प्लॉट सं0 — रकबा 0.23 एकड़ भूमि सोमरा अहीर पिता चरकु अहीर के नाम से बिना प्राधिकार का दर्ज पाया। पंजी II में पहला लगान वसूली वर्ष 1971-72 से दर्ज है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बंदोबस्ती / जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल कब्जा नहीं है। अवैध जमाबंदीदार पिछड़ा वर्ग जाति के श्रेणी में आते हैं। भूमि का वर्तमान स्वरूप —है। अवैध जमाबंदीदार सैनिक / अर्द्धसैनिक बल के / वीरगति / शहीद के उत्तराधिकारी, पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुए शरणार्थी सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन दिव्यांग नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि, शासकीय परिसर / संस्थान / राजपथ / उच्चपथ / मुख्यपथ से दूरी पर है। उक्त भूमि की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा रोन्हे थाना नं0 173 खाता 36 प्लॉट सं0 — रकबा 0.23 एकड भूमि को अवैध / अनियमित मानते हुए BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। 11/09/24 अंचल अधिकारी कर्रा। 11/09/24 अंचल अधिकारी कर्रा।	